जिला श्रीगंगानगर (
नम्बर व
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी हु

(3)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 57 दायर दिनांक : 03.03.2021

1. सोहनलाल पुत्र हरखाराम जाति सुथार (फौत) जरिये वारिसान :–

1/1 अमानी पत्नी सोहनलाल
1/2 कमला देवी
1/3 उर्मिला
1/4 मीरादेवी
1/5 सतपाल
1/6 हेमाराम
1/7 सुमनलता
1/8 सुन्दर देवी
} पुत्र/पुत्रीया सोहनलाल अकवाम सुथार निवासीयान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2. बद्रीप्रसाद
3. रूपाराम
4. ईमीलाल
} पुत्रगण हरखाराम जाति सुथार निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5. भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी बिरथलियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादीगण

बनाम

1. चन्दुराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चक 7 ई छोटी बिरथयिवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 19.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 डी.ओ. की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 35/41 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम संयुक्त खाता में 10.070 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरू बंटवारा किया हुआ है। जो कि वाद पत्र की मद संख्या–3 अनुसार है। इसी अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को काश्त करने, रकम राजस्व जमा करवाने

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा कब्जा काश्त को लेकर भी आपस में विवाद उत्पन्न होता रहता है। वादीगण उक्त भूमि का खातेदार कृषक होने के कारण अपने हिस्सा की भूमि का घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने के हकदार है। वादीगण ने तहसील हाजा में जाकर संयुक्त खाता की भूमि की बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया तो सहकाश्तकार पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन अन्त में इन्कार हो गये। इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि का मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री लेखराज देरासरी ने जवाब–दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया। वादी संख्या–1 सोहनलाल के फौत होने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। वाद पत्र में तनकीयात कायम कर साक्ष्य पक्षकारान लिये गये।

वादी संख्या 1/5 ने उपस्थित होकर बयान शपथ–पत्र पेश किया जिस पर अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह नही की गई जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी और नहीं कराये जाने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादाधीन संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 35/41 के पत्थर नं. 63/33 (260), 63/42 (266), 63/34 (267), 63/45 (284), 63/44 (290) में अंकित कुल 10.070 है0 अनकमाण्ड भूमि का मुताबिक बंटवारा खाता विभाजन कर खाता अलग कायम किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब–दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र की मद संख्या 3 का उप मद संख्या–6 अनुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने राज्य के हितों को मध्य नजर रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस श्रवण करने के पश्चात् बहस बिन्दुओं पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादीगण ने मुताबिक घरू बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन किये जाने

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का अनुतोष चाहा है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उक्त घरू बंटवारा के संबंध में अपने जवाबदावा में कोई ऐतराज नही किया है। उन्होने जवाब दावा में वाद पत्र के मद संख्या–3 की उप मद संख्या–6 में अंकित रकबा पर कब्जा काश्त स्वीकार किया है। विभाजन के नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्सानुसार सहकाश्तकार से अलग खाता कायम करवाने का अधिकार है जिसके अनुसार वादीगण वादाधीन भूमि का अपने हिस्सा की भूमि का सहकाश्तकार खातेदार होने के कारण खाता विभाजन का दावा दायर कर, खाता विभाजन करवाने की हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 के हितों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। किसी भी सहकाश्तकार को कोई हानि न हो, इसलिए जैरवाद भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता व सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 35/41 के पत्थर नं. 63/33 (260), 63/42 (266), 63/34 (267), 63/45 (284), 63/44 (290) में अंकित कुल 10.070 है0 अनकमाण्ड भूमि का विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता व सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुरूप प्राथमिक डिक्री जारी हो। आदेश की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम अलग से पत्र जारी हो। विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में अन्तिम आदेश व डिक्री हेतु पत्रावली पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
–::प्राथमिक परचा डिक्री::–
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.सोहनलाल पुत्र हरखाराम जाति सुथार (फौत) जरिये वारिसान :–

1/1 अमानी पत्नी सोहनलाल
1/2 कमला देवी
1/3 उर्मिला
1/4 मीरादेवी
1/5 सतपाल
1/6 हेमाराम
1/7 सुमनलता
1/8 सुन्दर देवी

पुत्र/पुत्रीया सोहनलाल अकवाम सुथार निवासीयान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2.बद्रीप्रसाद
3.रूपाराम
4.ईमीलाल

पुत्रगण हरखाराम जाति सुथार निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5.भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी बिरथलियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1.चन्दुराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चक 7 ई छोटी बिरथयिावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,188,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 57 वर्ष 2021 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार व वकील प्रतिवादी संख्या–1 श्री लेखराज देरासरी तथा पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 डी.ओ. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 35/41 के पत्थर नं. 63/33 (260), 63/42 (266), 63/34 (267), 63/45 (284), 63/44 (290) में अंकित कुल 10.070 है0 अनकमाण्ड भूमि का विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता व सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19.01.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)